

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI  
FINANCE (REV-1) DEPARTMENT  
DELHI SECRETARIAT, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002

No.F.12(4)/Fin(Rev-1)/15-16 *del 12/587*

Dated *22/7/2015*

NOTIFICATION

No.F.12(4)/Fin(Rev-1)/15-16/ :- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 81 of the Delhi Excise Act, 2009 (Delhi Act 10 of 2010), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules to further amend the Delhi Excise Rules, 2010, namely :-

- (1) **Short Title and Commencement :** (i) These rules may be called the Delhi Excise (Amendment) Rules, 2015.  
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
2. **Amendment in rule 154 – In the Delhi Excise Rules, 2010, in rule 154, -**
- (i) in sub-rule(1), in clause (b), for the words and figure "Rs. 5 lacs" the words and figure "Rs. 7.5 lacs" shall be substituted.
  - (ii) in sub-rule(2), in the table relating to Licence Fees for Other Category of Licences -
    - (a) in column No.5 at S.No. 4, for figure "2,50,000" the figure "4,00,000" shall be substituted.
    - (b) in column No.5 at S.No. 17, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

S.No.	Hotels and Guest Houses having rooms	Licence fee (in Rs.)
17.	Up to 25	82,500
	26 to 50	1,10,000
	51 to 100	2,20,000
	101 to 200	3,30,000
	201 to 300	4,40,000
	301 to 400	5,50,000
	401 and above	6,60,000
Note: The annual license fee shall be increased 10% every year, automatically.		

- (c) in column No.5 at S.No. 19, for the existing entries, the following shall be substituted, namely:-

S.No.	Category	Upto 75 covers (in Rs.)	Above 75 covers (in Rs.)
19.	Budget Hotels	4,40,000	6,05,000
	1 Star	4,67,500	6,87,500
	2 Star	5,77,500	7,97,500
	3 Star	6,32,500	8,80,000
	4 Star	6,87,500	9,35,000
	5 Star	8,25,000	11,55,000
	Above 5 Star	9,90,000	13,20,000
	Motels Deluxe	7,70,000	9,90,000
	Motels	6,60,000	8,80,000

	First Class	
		Note :The annual license fee shall be increased 10% every year, automatically.

(d) in column No.5 at S.No. 21, for the existing entries, the following shall be substituted, namely:-

S.No.	Having seat covers:	Licence fee (in Rs.)
21.	Up to 50	5,22,500
	51 to 100	7,42,500
	101 to 200	9,90,000
	201 and above	12,65,000
		Note :The annual license fee shall be increased 10% every year, automatically.

(e) in column No.5 at S.No. 23, for the existing entries, the following shall be substituted, namely:-

S.No.	Having seat covers:	Licence fee (in Rs.)
23.	Up to 50	2,75,000
	51 to 100	3,85,000
	101 to 200	4,95,000
	201 and above	6,05,000
		Note :The annual license fee shall be increased 10% every year, automatically.

(f) in column No.5 at S.No. 25, for the existing entries, the following shall be substituted, namely:-

S.No.	Having seat covers:	Licence fee (in Rs.)
25.	Up to 50	10,45,000
	51 to 100	14,85,000
	101 to 200	19,80,000
	201 and above	25,30,000
		Note :The annual license fee shall be increased 10% every year, automatically.

(g) in column No.6 at S.No. 38, for the existing entries, the following shall be substituted, namely:-

S.No.	Having membership	Licence fee (in Rs.)
38.	(a) upto 800	82,500
	(b) 801 to 1,500	1,10,000
	(c) more than 1,500	2,20,000
Note :The annual license fee shall be increased 10% every year, automatically. "		

(h) in column 5 at S.No. 40, for figure "7,500", the figure and words "10,000 and the annual license fee shall be increased 10% every year, automatically."

By order and in the name of the  
Lieutenant Governor of the National  
Capital Territory of Delhi

  
( RAVINDER KUMAR )  
Deputy Secretary (Finance)

Dated: 22/7/15

No. F.12(4)/Fin(R&V-1)/15-16/ds v2/587

Copy to :-

1. The Pr. Secretary (GAD), Government of NCT of Delhi with one spare copy for its publication in Delhi Gazette Part-IV (extraordinary) in today's date.
2. The Pr. Secretary to Lt. Governor, Raj Niwas, Delhi.
3. The Secretary to Dy.C.M./F.M., Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Commissioner of Excise, Entertainment & Luxury Tax, GNCT of Delhi, L-Block, Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
5. The Addl. Secretary (L&J), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
6. Web site
7. Guard file.

  
( RAVINDER KUMAR )  
Deputy Secretary (Finance)

o/c

(दिल्ली राजपत्र भाग - 4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
वित्त (राजस्व-1) विभाग  
दिल्ली सचिवालय, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली-110002

सं0फा0 12(4)/वित्त(राजस्व-1)/15-16/15/587

दिनांक: 22/7/2015

अधिसूचना

सं0फा0 12(4)/वित्त(राजस्व-1)/15-16 /

:- दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 (2010 का दिल्ली अधिनियम

10) की धारा 81 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, इसके द्वारा दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 का पुनः संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :- (1) इन नियमों को दिल्ली आबकारी (संशोधन), नियमावली, 2015 कहा जाएगा।
- (2) ये दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।
2. नियम 154 में संशोधन - दिल्ली आबकारी नियमावली 2010 के नियम 154 में :-
  - (i) उप नियम(1) के खण्ड (ख) में 'रूपये 5 लाख' अंक के स्थान पर 'रूपये 7.5 लाख' को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
  - (ii) उप नियम (2) की अन्य श्रेणियों के लाइसेंस के लिए लाइसेंस शुल्क से संबंधित तालिका में-
    - (क) क्रम संख्या 4 पर कालम संख्या 5 में '2,50,000' अंक के स्थान पर '4,00,000' अंक को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
    - (ख) क्रम संख्या 17 पर कालम 5 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

क्रम सं0	कक्षों वाले होटल तथा गेस्ट हाउस	लाइसेंस शुल्क (रु0 में)
17.	25 तक	82,500
	26 से 50	1,10,000
	51 से 100	2,20,000
	101 से 200	3,30,000
	201 से 300	4,40,000
	301 से 400	5,50,000
	401 और अधिक	6,60,000
		नोट: वार्षिक लाइसेंस शुल्क स्वतः ही प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत बढ़ जायेगा।

(ग) क्रम संख्या 19 पर कालम संख्या 5 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी ; अर्थात् -

क्रम संख्या	श्रेणी	75 कवर्स तक (रु0 में)	75 कवर्स से उपर (रु0 में)
19	बजट होटल	4,40,000	6,05,000
	एक सितारा	4,67,500	6,87,500
	दो सितारा	5,77,500	7,97,500
	तीन सितारा	6,32,500	8,80,000
	चार सितारा	6,87,500	9,35,000
	पांच सितारा	8,25,000	11,55,000
	पांच सितारा से उपर	9,90,000	13,20,000
	मोटलस	7,70,000	9,90,000

डीलक्स		
मोटलस प्रथम श्रेणी	6,60,000	8,80,000
		नोट: वार्षिक लाइसेंस शुल्क स्वतः ही प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत बढ़ जायेगा।

(घ) क्रम संख्या 21 पर कालम संख्या 5 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिष्ठियां प्रतिस्थापित की जाएंगी ; अर्थात् -

क्रम सं०	सीट कवर्स वाले	लाइसेंस शुल्क (रु० में)
21	50 तक 51 से 100 101 से 200 201 तथा अधिक	5,22,500 /- 7,42,500 9,90,000 12,65,000
		नोट: वार्षिक लाइसेंस शुल्क स्वतः ही प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत बढ़ जायेगा।

(ङ) क्रम संख्या 23 पर कालम संख्या 5 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिष्ठियां प्रतिस्थापित की जाएंगी ; अर्थात् -

क्रम सं०	सीट कवर्स वाले	लाइसेंस शुल्क (रु० में)
23.	50 तक 51 से 100 101 से 200 201 तथा अधिक	2,75,000 3,85,000 4,95,000 6,05,000
		नोट: वार्षिक लाइसेंस शुल्क स्वतः ही प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत बढ़ जायेगा।

(च) क्रम संख्या 25 पर कालम संख्या 5 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिष्ठियां प्रतिस्थापित की जाएंगी ; अर्थात् -

क्रम सं०	सीट कवर्स वाले	लाइसेंस शुल्क (रु० में)
25.	50 तक 51 से 100 101 से 200 201 तथा अधिक	10,45,000 14,85,000 19,80,000 25,30,000
		नोट: वार्षिक लाइसेंस शुल्क स्वतः ही प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत बढ़ जायेगा।

(छ) क्रम संख्या 38 पर कालम संख्या 6 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिष्ठियां प्रतिस्थापित की जाएंगी ; अर्थात् -

क्रम सं०	सदस्यता वाले	लाइसेंस शुल्क (रु० में)
38.	(क) 800 तक (ख) 801 से 1500 तक (ग) 1500 से अधिक	82,500 1,10,000 2,20,000
		नोट: वार्षिक लाइसेंस शुल्क स्वतः ही प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत बढ़ जायेगा।

(ज) - कम संख्या 40 पर कालम संख्या 5 में ' 7500 ' अंक के स्थान पर '10,000' अंक तथा शब्दों और वार्षिक लाइसेंस शुल्क स्वतः ही 10 प्रतिशत बढ़ जाएगा ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर




(रविन्द्र कुमार)  
उप-सचिव (वित्त)

सं0फा0 12(4)/वित्त(राजस्व-1)/15-16 *LS/रस व/587*

दिनांक: *22/7/* 2015

प्रतिलिपि निम्न को :-

1. प्रधान सचिव, (सामान्य प्रशासन विभाग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली को आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग-चार में प्रकाशनार्थ एक अतिरिक्त प्रति सहित ।
2. प्रधान सचिव उपराज्यपाल, राजनिवास, दिल्ली
3. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार नई दिल्ली ।
4. आयुक्त आबकारी, मनोरंजन एवं विलासिता कर, दिल्ली सरकार, एल ब्लॉक, विकास भवन, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली ।
5. अतिरिक्त सचिव, (विधि एवं न्याय), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय नई दिल्ली ।
6. गार्ड फाईल ।
7. वेबसाइट ।



(रविन्द्र कुमार)  
उप-सचिव (वित्त)

0/c